कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांकः-ई-मेल दिनांकः- 13.04.2018

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषयः- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री गणेश कुमार के परिवाद के संबंध में।
प्रसंगः- सीएम हेल्पलाईन संख्या 03180673375306 दिनांक 27.03.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री गणेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (प्रोटोकॉल) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट परिवादी से वार्ता करने पर बताया कि मै आपके कार्यालय में नहीं आ सकता, मैने तो अखबार की कटिंग के हिसाब से परिवाद दिया है मैरे सी.एम. हैल्पलाईन पर 250 परिवाद चल रहे है आप जांच कर लिजिए मै नहीं आ सकता। उक्त परिवाद के संबंध में समाचार पत्र में छपी चालान रसीद की डिटेल निकलवाई जाकर चालानकर्ता अधिकारी के बयान लिये गये तो जिसने बताया कि ई-चालान मशीन में पेपर रोल खत्म होने पर स्वयं के स्तर ही अन्य पेपर रोल का इस्तेमाल चालान हेतु किया जाना बताया है। परिवाद में अंकित तथ्य जिस रोल को रोडवेज ने रिजेक्ट किया उसे चालान के लिये पुलिस ने खरीदा में कोई सत्यता नहीं पाई गई। यातायात पुलिस द्वारा ना ही कभी ऐसे पेपर रोल खरीदे गये ना ही वर्तमान में ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर